33

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 माघ, 1932 शकाब्द

संख्या 133 राँची, शनिवार, 12 फरवरी, 2011

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

11 फरवरी, 2011

संख्या 1653 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 503 एवं अधिसूचना संख्या 594 क्रमशः दिनांक 4 सितम्बर, 2010 एवं 29 अक्टूबर, 2010 से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श एवं भारत सरकार की स्वीकृति से इस अधिनियम के प्रावधानों को विशेष अनुसूची में विनिर्दिष्ट वर्गों की स्थापनाओं पर विस्तार की मंशा हेतु शासकीय राजपत्र में एक माह या उसके बाद करने का नोटिस दिया गया था ।

इस अधिसूचना की प्रतियाँ आम लोगों को दिनांक 4 सितम्बर, 2010 एवं 29 अक्टूबर, 2010 को उपलब्ध करायी गयी थी ।

इस अधिसूचना के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव सरकार के पास विचार हेतु प्राप्त नहीं हुई है ।

अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श और भारत सरकारं की स्वीकृति से इस अधिनियम के प्राक्धानों को संलग्न अनुसूची (1)

34

में विनिर्दिष्ट वर्गों की स्थापनाओं पर झारखंड राज्य के संलग्न अनुसूची (2) के विशेष क्षेत्रों पर एतद् द्वारा विस्तार करती है ।

<u>अनुसूची</u>

स्थापनाओं का विवरण	वे क्षेत्र जहाँ स्थापन स्थित है
1	2
निम्नांकित स्थापना जिनमें दस या दस से अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, अथवा पिछले बारह महीनों में किसी दिन नियोजित थे, अर्थात् (1) दुकान (2) होटल (3) रेस्तरां (4) सड़क मोटर परिवहन स्थापना (5) पूर्व दर्शन थियेटरों सहित सिनेमाघर (6) कामकाजी पत्रकार (सेवा की शर्त) तथा प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम 1955 (1955 का 45) की धारा 2 (घ) में यथा परिभाषित समाचार–पत्र स्थापना । 7 व्यक्तियों, न्यासियों, सोसाइटियों अथवा अन्य संगठनों द्वारा चलाये जाने वाले शैक्षणिक संस्थान (सार्वजनिक, निजी सहायता –प्राप्त अथवा आंशिक रूप से सहायता प्राप्त सहित) 8 चिकित्सा संस्थान (निगमित, संयुक्त क्षेत्र न्यास धर्मार्थ तथा निजी स्वामित्व वाले अस्पताल, नर्सिंग होम, निदान केन्द्र, रोग विज्ञान प्रयोगशाला)	सभी क्षेत्र जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधान अधिनियम की धारा 1(3) के अंतर्गत पहले से ही लागू किये जा चुके है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
विष्णु कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव ।

अधिसूचना

11 फरवरी, 2011

उपरोक्त अधिसूचना अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
विष्णु कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव ।

35

Labour, Employment & Training Department

NOTIFICATION

The 11th February, 2011

No. 1653 Whereas by a notification of the Government of Jharkhand number 503 & 594 dated the 4th September, 2010 & 29th October, 2010 respectively the State Government, in consultation with the Employees' State Insurance Corporation and with the approval of Central Government, gave notice of its intention to extend the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) to certain classes of establishments specified in the Schedule to the said notification after one month from the date of that notification.

And whereas the copies of said notification were made available to the public on 4th September, 2010 & 29th October, 2010.

And whereas, no objections and suggestions have been received with the said period of one month in respect of said notification.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 1 of the Employees' State Insurance act, 1948 (34 of 1948), the State Government of Jharkhand in consultation with the Employees' State Insurance Corporation and with the approval of Central Government, hereby extends the provisions of the said Act to the classes of establishments specified in Column (1) and situated within the areas specified in column (2) of the Schedule in the State of Jharkhand namely:-

SCHEDULE

Description of establishments	Areas in which the establishments are situated
(1)	(2)
The following establishments whereon ten or more persons are employed, or were employed on any day of the preceding twelve months, namely- i) Shops; ii) Hotels; iii) Restaurants;	All areas where the provisions of the ESI Act, 1948 have already been brought into force under Section 1(3) of the Act.

iv) Road Motor Transport establishments; v) Cinemas including preview theatres; vi) Newspaper establishments as defined in Section 2(d) of the Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions act, 1955 (45 of 1955); vii) Educational Institutions (including public, private, aided or partially aid.ed) run by individuals, trustees, societies or other organizations; viii) Medical Institutions (including corporate, joint sector, trust, charitable and private ownership hospitals, nursing homes, diagnostic centres, pathological labs.	

By Order of the Governor of Jharkhand,
Vishnu Kumar,
Principal Secretary to the Government,
Labour, Employment and Training
Department, Government of Jharkhand.

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 133–150+200 ।